

कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी

पत्रांक:- 3655 / 12-1 दिनांक, पौड़ी, जून, 14, 2017.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय:- जनपद चमोली के अन्तर्गत बगोली-कोटी मोटर मार्ग के सम्बन्ध में।

Proposal No- FP/UK/ROAD/ 10119/ 2015

सन्दर्भ:- प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर की पत्र संख्या 5537/12-1, दिनांक 12-06-2017


महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर द्वारा वांछित आपत्तियों का निराकरण निम्न प्रकार से किया गया है-

| क्र०सं० | प्रश्न | उत्तर |
|---------|--|---|
| 1. | In reply to this office EDS dated 0-3-08-2016 the KML file and geo-referenced digital map for the area proposed for CA has been uploaded at I Part I online, Showing the correct extent of the area but the Decision Support System(DSS) Analysis shows that 1.00 ha area falls in moderately Dense Forest (MDF) which is not considered Suitable for CA. May replace 1.00 ha area of MDF with some other area suitable for CA, Revised digital map and SoI toposheet map may also be uploaded/provided accordingly. | क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण से सम्बन्धित 4.438 है० का Revised GIS Map बनाकर पार्ट- I के क्रम संख्या L (v) and (vi) एवं KML file L(iv) के C में अपलोड कर दिया गया है। |
| 2. | The detail of non-forest land proposed for the project may be filled in online Part-I column-B 2.4 | उक्त आपत्ति के संदर्भ में अवगत कराना है कि पार्ट- I के Para A-I (ix) Edit Mode में ना होने के कारण Non-Forest land की प्रविष्टि किसी भी Para में नहीं हो पा रही है। Non-Forest land की प्रविष्टि करने हेतु Forest Technical Contact Telephone no- 011-24695407 पर वार्ता की गयी तथा उनके द्वारा अवगत कराया गया कि Non-Forest land की प्रविष्टि करने हेतु आपको प्रस्ताव Withdraw कर पुनः ऑन लाईन करना होगा तभी Non Forest land की प्रविष्टि हो पायेगी। महोदय प्रस्ताव withdraw कर पुनः ऑन लाईन किया जायेगा तो वन भूमि हस्तान्तरण/सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने में अधिक समय लगने की पूर्ण सम्भावना बनी रहेगी। अतः महोदय से निवेदन है कि उक्त आपत्ति का निस्तारण अपने स्तर से करने की कृपा करें। |

अतः आप उक्त प्रकरण में अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय,


(जी०के०रस्तोगी)

वन संरक्षक,

गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बट्टीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर 11

पत्रांक 5537 / 12-1,

दिनांक, गोपेश्वर, जून 12 /2017

सेवा में,

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड,
पौड़ी।

विषय:- जनपद चमोली के अन्तर्गत बगोली कोटी मोटर मार्ग के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग का पत्रांक 1350/10 एल0ए0
दिनांक 11.06.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त मोटर मार्ग प्रस्ताव में लगायी गई आपत्तियों का निराकरण कर प्रस्तावक विभाग द्वारा निम्नानुसार किया गया है। :-

| क्र०सं० | प्रश्न | उत्तर |
|---------|--|--|
| 1. | In reply to this office EDS dated 0-3-08-2016 the KML file and geo-referenced digital map for the area proposed for CA has been uploaded at I Part I online, Showing the correct extent of the area but the Decision Support System(DSS) Analysis shows that 1.00 ha area falls in moderately Dense Forest (MDF) which is not considered Suitable for CA. May replace 1.00 ha area of MDF with some other area suitable for CA, Revised digital map and Sol toposheet map may also be uploaded/provided accordingly. | क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण से सम्बन्धित 4.438 है० का Revised GIS Map बनाकर पार्ट-1 के क्रम संख्या L (v) and (vi) एवं KML file L(iv) के C में अपलोड कर दिया गया है। |
| 2. | The detail of non-forest land proposed for the project may be filled in online Part-I column-B 2.4 | उक्त आपत्ति के संदर्भ में अवगत कराना है कि पार्ट-1 के Para A-1 (ix) Edit Mode में ना होने के कारण Non-Forest land की प्रविष्टि किसी भी Para में नहीं हो पा रही है। Non-Forest land की प्रविष्टि करने हेतु Forest Technical Contact Telephone no- 011-24695407 पर वार्ता की गयी तथा उनके द्वारा अवगत कराया गया कि Non-Forest land की प्रविष्टि करने हेतु आपको प्रस्ताव Withdraw कर पुनः ऑन लाईन करना होगा तभी Non Forest land की प्रविष्टि हो पायेगी। महोदय प्रस्ताव withdraw कर पुनः ऑन लाईन किया जायेगा तो वन भूमि हस्तान्तरण/सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने में अधिक समय लगने की पूर्ण सम्भावना बनी रहेगी। अतः महोदय से निवेदन है कि उक्त आपत्ति का निस्तारण अपने स्तर से करने की कृपा करें। |

अतः आप उक्त प्रकरण में अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय,

(एन०एन०पाण्डेय)

प्रभागीय वनाधिकारी,
बट्टीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।